न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 222/2010 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. गौतम पिता श्री हरदार भील, निवासी गांव बोरपी करेंग, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. राजीया पिता श्री हरदार भील, निवासी गांव बोरपी करेंग, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. सुखिया पिता श्री हरदार भील, निवासी गांव बोरपी करेंग, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. लालीया पिता श्री हरदार भील, निवासी गांव बोरपी करेंग, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. कस्तुरा पिता श्री भेरिया भील, निवासी गांव बोरपी करेंग, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. हकरीया पिता श्री भेरिया भील, निवासी गांव बोरपी करेंग, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राईया पिता श्री हिरिया भील, निवासी गांव बोरपी करेंग, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. चन्दणा पिता श्री हिरिया भील, निवासी गांव बोरपी करेंग, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भेरिया पिता श्री हिरिया भील, निवासी गांव बोरपी करेंग, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. तेजीया पिता श्री हिरिया भील, निवासी गांव बोरपी करेंग, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. रूपला पिता श्री हिरिया भील, निवासी गांव बोरपी करेंग, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. भूमिधारी तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, घाटोल
दिनांक 02–08–2010 प्र.सं. 06/07

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाशक अपीलान्टगण

2– श्री समर पण्डया अभिभाषक रस्पोन्डेन्ट सं. 1

3– श्री दिनेश पुरी अभिभाषक रेस्पो. सं. 2 से 4

4– पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 6

———::———

निर्णय दिनांक

13–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलान्टगण व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 46 रकबा 11.5200 हैक्टर भूमि ग्राम बोरपीकेरंग में स्थित है, जो वादीगण व प्रतिवादीगणों के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसका अभी विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 6 अनुसार है। अतः उक्त भूमियों का विधिवत विभाजन कराया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में 1/2, 1/2 रखा जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की एकपक्षीय बहस सुनने के बाद पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 31–12–2008 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त फर्द बंटवाड़े के आधार पर दिनांक 02–08–2010 को अंतिम डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय की उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 31–12–2008 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02–08–2010 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण/ प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–10–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 16–08–2010 को अपीलान्टगण अपनी

फसल की रखवाली करने गये तो रेस्पोन्डेन्टगण ने मौके पर आकर झगड़ा किया तथा बताया कि उनके हक में फैसला हो चुका है। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि प्रारम्भिक डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मं जारी की गयी है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री समर पण्डया तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 स 4 की ओर से वकील श्री दिनश पुरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं मुख्य रूप से यह उजर लिया कि दिनांक 10–03–2008 को उनके अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं करने से अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादीगण का वाद साबित नहीं होता है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का उक्त भूमियों में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर विवादित सम्पूर्ण भूमियों का अपीलान्टगण को खातेदार घोषित किया जावे।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया तो पाया कि दिनांक 10–03–2008 को अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं किया जाना आदेशिका से प्रकट होता है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं करने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गयी तथा बिना प्रतिवादीगण के साक्ष्य सबूत लिय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी है, जो विधि सम्मत नहीं है। इसके अलावा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, वह भी जिस फर्द बंटवाड़े के आधार पर जारी की गयी है वह प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है तथा पटवारो द्वारा तैयार की गयी है, जबकि फर्द बंटवाड़ा तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। तद्नुसार अंतिम डिक्री भी त्रुटि पूर्ण है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 31–12–2008 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02–08–2010 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्दे"ाों के साथ प्रतिप्रेशित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर एवं सुनकर निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी करें, तत्पश्चात तहसीलदार स्वयं पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवाड़ा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें एवं अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त फर्द बंटवाड़े पर पक्षकारान की यदि किसी प्रकार की आपत्तियां हैं तो उनका निस्तारण करते हुए प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–07–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

मोडीराम के बजाय श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी स्व. मोडीराम ब्राहमण, निवासी गनोड़ा, तह.घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य

बनाम

धुलजी पिता स्व.रतनजी ब्राहमण, निवासी गनोड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं॰.....20 / 2014.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....घाटोल..... मुकाम.....मुवर्खे.....23.....माह..... 04.....2014

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....07....माह.....02.....सन् 2018 रूबरू.... पक्षकारान...

व हाजरी...श्री हीरालाल जैन ....मिनजानिब अपीलान्ट व ..... श्री य"पाल गुप्ता

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–04–2014 यथावत रखी जाती हैं।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....07.....माह.....02... .....2018 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।